

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/ 4921-28

दिनांक:- 27 जून 2014

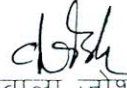
आदेश संख्या 30/2014-15

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 29 (2ए) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी वर्ष 2011-12) की सिफारिशों के आधार पर श्री रमेश चन्द, कनि० लेखाकार (मेरिट संख्या 366/90, लिंक नं. 2117) जन्मतिथि 05 जनवरी 1963, जिनका चयन उक्त नियमों के अन्तर्गत लेखाकार के रिक्त पद पर वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर किया गया था, किन्तु इनके विरुद्ध जांच विचाराधीन होने के कारण इनका प्रकरण लिफाफा बन्द रखते हुए इनके पदोन्नति आदेश जारी नहीं किए गए।

श्री रमेश चन्द के विरुद्ध विचाराधीन प्रकरण को विभागीय आदेश संख्या 1537-39 दिनांक 29.05.2014 द्वारा इन्हें दोषमुक्त करते हुए बिना किसी दण्ड दिये समाप्त कर दिया गया है। अतः श्री रमेश चन्द, कनि० लेखाकार की पदोन्नति की जाकर इन्हें लेखाकार पद की वेतन श्रृंखला 9300-24800 (पे बैंड- 2), ग्रेड पे- 4200/- में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है।

श्री रमेश चन्द, कनि० लेखाकार पदोन्नति के उपरान्त अपने वर्तमान पद पर इस पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकता कमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे।

उक्त आदेश वित्त विभाग की स्वीकृति संख्या पं.2 (15)वित्त/राजस्व/10 दिनांक 21 जून 2013 के अनुसरण में जारी किए गए हैं।


(वीरबाला जोशी)

निदेशक,

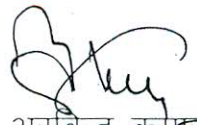
कोष एवं लेखा विभाग,

दिनांक:- 27 जून 2014

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/ 4921-28

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित कोषाधिकारी
2. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि वे कृपया सम्बन्धित कनि० लेखाकार को लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण करवाकर विभाग को सूचित करावें।
3. अति० निदेशक, कार्मिक-II, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित कनि० लेखाकार के कम्प्यूटर लिंक नम्बर एवं पदस्थापन स्थान की जांच करने के उपरान्त निजी पत्रावली पूर्ण करवाकर भिजवाने का श्रम करावें।
4. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
5. श्री रमेश चन्द, कनि० लेखाकार (मेरिट संख्या 366/90, लिंक नं. 2117) को निर्देशित किया जाता है कि वे लेखाकार पद पर कार्यग्रहण कर सूचना अविलम्ब इस विभाग को भिजवावें।
6. डीपीसी अनुभाग/गोपनीय अनुभाग।
7. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
8. निजी पंजिका/आदेश पंजिका।


(डॉ० अरविन्द कुमार मिश्रा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)